



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

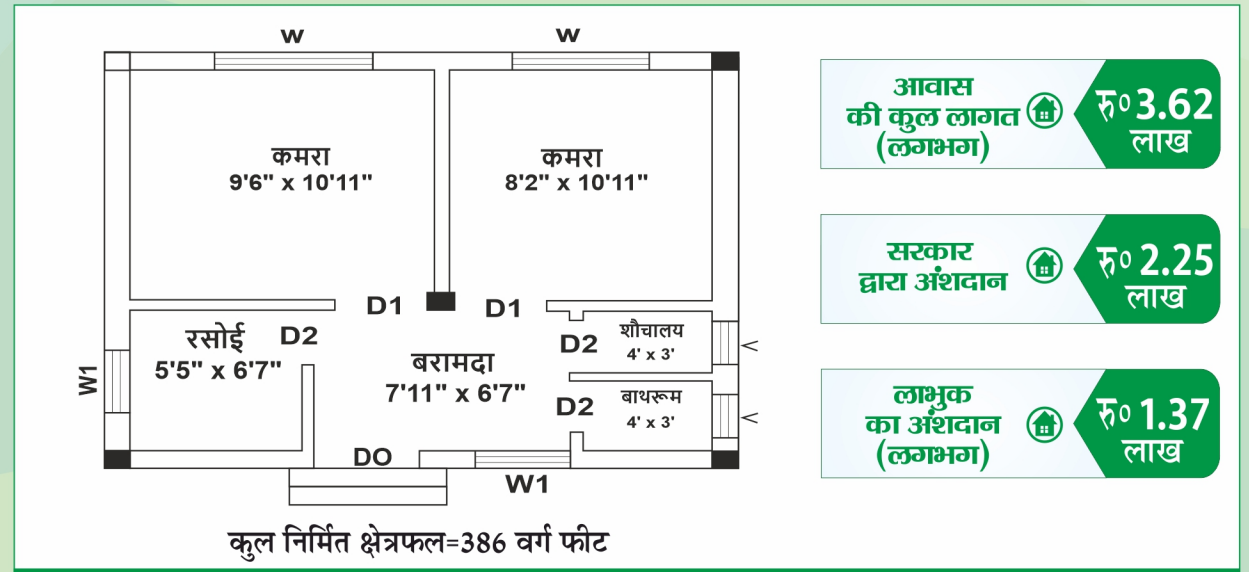
चतुर्थ घटक : लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान (BLC)

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक-लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 (द्वितीय चरण) में झारखण्ड के 46 शहरी निकाय अंतर्गत चयनित लाभार्थियों के कुल 25,443 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

निकायवार स्वीकृत आवासों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	निकाय	स्वीकृत लाभुक (सं०)	क्र.सं.	निकाय	स्वीकृत लाभुक (सं०)
1	आदित्यपुर	96	24	हुसैनाबाद	216
2	बचरा	62	25	जामताड़ा	480
3	बड़की सरैया	132	26	झुमरी तिलैया	241
4	बरहरवा	363	27	जुगसलाई	3
5	वासुकीनाथ	615	28	कपाली	57
6	विश्रामपुर	776	29	खुंटी	835
7	बुण्डू	11	30	कोडरमा	67
8	चाईबासा	328	31	लोहरदगा	259
9	चक्रधरपुर	68	32	मधुपुर	834
10	चाकुलिया	496	33	महगामा	820
11	चास	601	34	मझिआंव	286
12	छत्तरपूर	544	35	मानगो	49
13	देवघर	2345	36	मेदिनीनगर	2497
14	धनबाद	358	37	मिहिजाम	476
15	धनवार	99	38	नगर उंटारी	484
16	डोमचांच	431	39	पाकुड़	198
17	दुमका	529	40	फुसरो	36
18	गढ़वा	232	41	राजमहल	72
19	गिरिडीह	3347	42	रामगढ़	1189
20	गोड्डा	798	43	राँची	1121
21	गुमला	1076	44	साहिबगंज	11
22	हरिहरगंज	456	45	सरायकेला	31
23	हजारीबाग	1096	46	सिमडेगा	322
			कुल		25,443

आवास के निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा (ले-आउट) :-



PMAY-U अंतर्गत आवास के निर्माण कार्य हेतु सरकार से प्राप्त होने वाली किश्तों का विवरण :-

क्र० सं०	आवास निर्माण का चरण	निर्माण अवधि	किश्त	प्राप्त होने वाली राशि
1	नींव खुदाई का कार्य एवं GeoTagging।	15 दिन	—	—
2	Foundation से Plinth का कार्य।	15 दिन	प्रथम किश्त	रु. 45,000
3	Plinth से Lintel का कार्य एवं GeoTagging।	30 दिन	द्वितीय किश्त	रु. 67,500
4	Lintel से Roof/छत की ढलाई का कार्य एवं GeoTagging।	120 दिन	तृतीय किश्त	रु. 90,000
5	आवास निर्माण का कार्य पूर्ण एवं GeoTagging (रंग रोगन सहित)।	60 दिन	चतुर्थ किश्त	रु. 22,500

अतः सभी चयनित सुपात्र लाभुक निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करने हेतु दिनांक 21 अप्रैल से 23 अप्रैल, 2022 तक अपने निकाय कार्यालय से सम्पर्क कर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे।

अधिक जानकारी के लिए अपने नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत कार्यालय अथवा टोल फ्री नं० 1800-120-2929 पर संपर्क करें।